

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0078 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
28/08/2025 14:37 hrs
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
1 PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 7
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Thursday Date from (दिनांक से): 28/08/2025 Date To (दिनांक तक): 28/08/2025
Time Period (समय अवधि): Pahar 4 Time From (समय से): 11:40 hrs Time To (समय तक): 11:40 hrs
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 28/08/2025 Time (समय): 14:00 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012 Date and Time (दिनांक और समय): 28/08/2025 14:08 hrs
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार, निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): सागर
(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री देवेन्द्र कुमार
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1995 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव राई तहसील राई सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव राई तहसील राई सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8684837437

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	विनोद कुमार ब्रांच मनेजर			1. कार्यालय कर्मचारी राज्य, बीमा निगम राई सोनीपत SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of property of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में
निरीक्षक
अष्टाचार विरोधक व्यूरो
उप केन्द्र सोनीपत
श्रीमानजी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं सागर पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार गांव राई तहसील राई सोनीपत का स्थाई निवासी हूँ। मेरे चाचा खेमचन्द के नाम से हमारे गांव में एक फर्म खेमचन्द इन्टरप्राइजिस के नाम से रजिस्टर्ड है। मैं उस फर्म में HR admin का कार्य करता हूँ। हमारी फर्म का कार्य फैक्ट्रियों में मैनपावर/लेबर सप्लाई करना है। हमारी फर्म में करीब 1200 वर्कर हैं। जिनको कम्पनियों की डिमांड के अनुसार अलग-2 कम्पनियों में काम करने के लिये भेजा जाता है। हमारी कम्पनी के सभी वर्कर का हम ESIC/EPI हर महिने समय पर जमा करवाते हैं। अगर किसी वर्कर को किसी कम्पनी में कार्य करते समय चोट लग जाती या मृत्यु हो जाती है, तो हम उस वर्कर की सरकारी दिवायती अनुसार सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिये कम्पनी की तरफ से आनलाईन ESIC साइट पर उस वर्कर की एक्सीडेंट रिपोर्ट भरते हैं, ताकि पिडित वर्कर को हर प्रकार की सरकारी सुविधाएं मिल सकें। दिनांक 25.06.2025 को हमारी फर्म द्वारा एक सन्दीप कुमार नाम के वर्कर को कार्य करने के लिये डेन प्लाक कम्पनी चौहान जोशी सोनीपत में भेजा गया था। उस दिन कार्य करते समय सन्दीप कुमार के सिर में व कंधे पर चोट लग गई थी। जिसकी हमारे द्वारा आनलाईन ESIC की साइट पर एक्सीडेंट रिपोर्ट भर दी गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.06.2025 को हमारी फर्म द्वारा एक गौरव के सिर पर भी चोट लग गई थी। जिसकी हमारे द्वारा आनलाईन ESIC साइट पर एक्सीडेंट रिपोर्ट भर दी गई थी। जब मैं गौरव व सन्दीप कुमार की एक्सीडेंट रिपोर्ट का प्रिन्ट लेकर ESIC कार्यालय राई पहुंचा और विनोद कुमार ब्रांच मनेजर से मिला। मैंने विनोद कुमार जी से पूछा कि हमारी फर्म के दो वर्करों को डेन प्लाक चौहान जोशी सोनीपत में कार्य करते समय चोट लग गई थी। हमने उन दोनों की आनलाईन एक्सीडेंट रिपोर्ट मंजूर करवाने के लिये भेजी हुई है। जो आपके पास पेंडिंग है। जब मैंने उनसे दस्तावेजों के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ दस्तावेजों से काम नहीं चलेगा। इसके साथ पर केस आपको 10 हजार रुपये भी देने होंगे। उसके बाद मैंने अपनी कम्पनी के आफिस आकर सारी बात अपने चाचा खेमचन्द को बताई, मेरे चाचा ने कहा कि 10 हजार रुपये पर केस तो बहुत ज्यादा है क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद दिनांक 20.08.2025 को विनोद कुमार ब्रांच मनेजर से उसके कार्यालय राई में जाकर मिला और विनोद से कहा कि 10 हजार पर केस तो ज्यादा है, मेरे द्वारा दोनों केसों के 15 हजार रुपये कर लेने के आवेदन पर विनोद कुमार ने कहा कि आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया, उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप ही बता दो, तो विनोद कुमार ने मुझे कागज पर 16 हजार रुपये लिख कर दिखाये। मैंने उनसे पूछा कि 16 हजार तो विनोद कुमार ने कहा कि हाँ। उसके बाद दिनांक 21.08.2025 को विनोद कुमार से उनके कार्यालय में उनके बताये अनुसार दस्तावेज लेकर पहुंचा तो उन्होंने दस्तावेजों के साथ-2 मेरे से 5000 रुपये रिश्त के तौर पर लिये हैं। उस अष्ट सरकारी कर्मचारी विनोद कुमार ने मुझे हमारी फर्म के दोनों वर्करों की एक्सीडेंट रिपोर्ट पास करने की एज में बकाया 11000, रुपये की रिश्त राशि लेने के लिये आज बुलाया है। मैं उस अष्ट सरकारी कर्मचारी को रिश्त नहीं देना चाहता। मेरे और विनोद कुमार के बीच रिश्त वारे हुई बातचीत की कुछ रिकार्डिंग है। जिसको मैं बाद में पैटर्न में डालकर आपको पेश कर दूंगा। अतः विनोद कुमार ब्रांच मनेजर कर्मचारी राज्य बीमा निगम राई सोनीपत में विनोद कुमार के कानूनी कार्यवाही की जाए। हस्ता अंग्रेजी Sagar

सागर पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार

गांव राई तहसील राई

जिला सोनीपत

8054837137

28/08/2025

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 28.08.25 को मैं अपने सहयोगी स्टाफ SI जगजीत 1241/सोनीपत, ASI रेनू

1581/सोनीपत, ASI कपील 12/झज्जर, ASI जगधीर 1114/रेवाडी, IIC अनील 571/झज्जर, EASI संजय 555/दादरी,

वासवारी गाड़ी सरकारी नं० HR 03GV-9489 जिसका चालक EASI विजेन्द्र 1550/रोहतक के हाजिर कार्यालय भद्राचार निराधक व्यूरो उप केन्द्र सोनीपत हूँ। जो सागर पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार गांव राई तहसील राई जिला सोनीपत ने मेरे

सबमुख उपरोक्त हस्त लिखित दरखारत पेश की और अपने और आरोपी विनोद कुमार ब्रांच मनेजर कर्मचारी राज्य बीमा निगम राई सोनीपत के बीच रिश्त वारे हुई बातचीत की रिकार्डिंग को सुनाया गया। उक्त वारे उच्च अधिकारियों को

अवगत करवाया गया जिन्होंने शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने वारे कहा। जो दरखास्त एवं रिकार्डिंग के मजबुन से मामला सरदरत जुर्म 79C/ACI का सरजद होता पाया जाने पर तहसीर हजा बराये कायगी मुकदमा बदस्त EASI संजय

555/दादरी के थाना राज्य सतर्कता एवं भद्राचार निरोधक व्यूरो रोहतक, भेजी जा रही है, वाद करने दर्ज अभियोग नज्दर वार्ड से सुचित किया जाए और रपैशल रिपोर्ट अफसरान वाला व ईलाका मजिस्ट्रेट को नियमानुसार भेजी जाए।

मेरे द्वारा एक दरखारत बराये नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी व कर्मचारी ई-मेल माध्यम से पुलिस अधीक्षक

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक गण्डल रोहतक को भेजी गई है। जो बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी रचतन्त्र सादी से सम्पर्क करके नियमानुसार आगामी कार्यवाही अगल में लाई जायेगी।

अज-राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत

हस्ता अंग्रेजी Sachiv insp

सचिव कुमार (निरीक्षक)

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

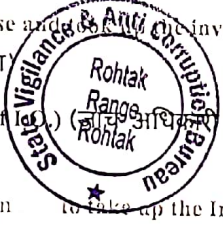
रोहतक गण्डल रोहतक

दिनांक 28.08.25

Time-11:40 AM

अज थाना- हस्त आगदा तहरीर प्राप्त होने पर गु० न० 28 दिनांक 28.08.25 धारा 7 P.C Act थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कंप्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान वाला व ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल द्वारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस गय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बंदरत ई/स०३०वि० संजय न० 555/दादरी की जाकर खाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक भगत सिंह की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)  (की गई कार्यवाही) का नाम): Sachiv Rank (पद): I (Inspector)
- (2) Directed (Name of Informant) (शिकायतकर्ता) का नाम): Sachiv Rank (पद): I (Inspector)
Kumar
- No. (सं.): 1720ggm to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
- on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): BHAGAT SINGH

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Rank (पद): INSPECTOR

No. (सं.): 560/RR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण का दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

